भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 4040**

(जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)

**पूंजी आधान हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ सहमति ज्ञापन**

4040. श्री आनन्द शर्माः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार का पूंजी आधान हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी)

के साथ सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सहमति-ज्ञापन हेतु अभिनिर्धरित बैंकों की सूची क्या है; और

(ग) इस पूंजी के प्रथम भाग का आधान कब तक किया जाएगा?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

**(क) से (ग):** सरकार द्वारा पूंजी लगाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने पीएसबी सुधार एजेंडा, इष्टतम स्तर तक इक्विटी पूंजी एकत्र करने, गैर-कोर परिसंपत्तियों से वसूली योग्य मूल्य प्राप्त करने, पूंजी को संरक्षित करने और आंतरिक पूंजी सृजन को सहायता देने हेतु वचन-पत्र प्रस्तुत किए हैं। उन बैंकों, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 में इसके लिए वचन-पत्र प्रस्तुत किए हैं और पूंजी निवेश प्राप्त किए हैं, की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

**वित्तीय वर्ष 2017-18 में वचन-पत्र प्रस्तुत करने वाले और पूंजी निवेश प्राप्त करने वाले बैंक।**

**क्रम संख्या बैंक**

1. इलाहाबाद बैंक

2. आन्ध्रा बैंक

3. बैंक आफ बड़ौदा

4. बैंक आफ इंडिया

5. बैंक आफ महाराष्ट्र

6. केनरा बैंक

7. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया

8. कार्पोरेशन बैंक

9. देना बैंक

10. आईडीबीआई बैंक लि.

11. इण्डियन ओवरसीज बैंक

12. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स

13. पंजाब नैशनल बैंक

14. पंजाब एंड सिंध बैंक

15. यूको बैंक

16. यूनियन बैंक आफ इंडिया

17. युनाइटेड बैंक आफ इंडिया

18. सिंडिकेट बैंक

19. भारतीय स्टेट बैंक

20. विजया बैंक

\*\*\*\*\*